बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 450 स्वी०/ईख पटना, दिनांक– 28 जनवरी, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024–25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राशि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध अन्तर्गत 70.00 (सत्तर) करोड़ रू० व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी के पश्चात् राशि के वितरण हेतु विभाग द्वारा मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है। राशि की वितरण विभागीय पत्रांक–94/ई० का० दिनांक–22.01.2025 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

3. पेराई सत्र 2024–25 में चीनी मिलो द्वारा क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर 10.00 रू०/क्विंटल की दर से भुगतेय अनुमानित मो० 70,00,00,000.00 (सत्तर करोड़) रूपये मात्र का भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत वर्तमान में कुल उपबंधित राशि मो० 50.00 (पचास) करोड़ रू० में से विकलनीय होगा। शेष राशि का व्यय राज्य आकस्मिकता निधि/अनुपूरक बजट में बजट उपबंध के उपरान्त व्यय किया जा सकेगा।

4. कुल स्वीकृत राशि मो० 70,00,00,000.00 (सत्तर करोड़) रूपये के अधीन एवं बजट उपलब्धता के अनुसार आवंटित राशि के अन्तर्गत ही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राशि की निकासी की जायेगी।

5. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि के अनुसार अपने से संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर सकेंगे।

6.. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त विषयक प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का दिनांक–10.01.2025 को संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ–14/टि० पर स्वीकृति प्राप्त है। तद्आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–42 दिनांक–13.01.2025 निर्गत है। यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27/1/2025

कृ०पृ०उ०

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग की सहमति संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 के पृष्ठ–21/टि० पर दिनांक–24.01.2025 को प्राप्त है।

9. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

27.01.2025

(अनिल कुमार झा)

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 450 ई०/ce पटना, दिनांक– 28 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 450 ई०/ce पटना, दिनांक– 28 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–समाहर्त्ता, समस्तीपुर/गोपालगंज/बेतिया (प० चम्पारण)/मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)/मुजफ्फरपुर/सीवान/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.01.2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 450 ई०/ce पटना, दिनांक– 28 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/रेगुलेटरी शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/अध्यासी/महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल/ महाप्रबंधक, सेवरही (उ० प्रदेश) चीनी मिल/सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.01.2025

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–02/रेगु०–02–7013/2024 450 ई०/ce पटना, दिनांक– 28 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.01.2025

ईखायुक्त, बिहार।